2025/715

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 475/2025
प्रार्थी :-

राजस्थान सरकार,
जरिये तहसीलदार बिलाडा

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :- तहसीलदार बिलाडा

निर्णय **दिनांकः-** 15/09/25

यह प्रकरण तरमीम शुद्धि के तहत तहसीलदार बिलाडा द्वारा राजस्व ग्राम चांदेलाव के खसरा नंबर 227 ऑनलाईन नक्शे में गलत तरमीम के स्थान पर तहसीलदार बिलाडा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के अनुसार सही तरमीम को राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 136 के तहत प्रस्तुत किया गया, जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।

पत्रावली का अध्ययन किया गया, राजस्व रेकर्ड एवं मौका निरीक्षण किया गया। तहसीलदार बिलाडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम चांदेलाव के खसरा सं. 227 रकबा 7.3295 हैक्टयर किस्म बारानी तृतीय में से 10.00 बीघा भूमि राजकीय उच्च माध्यमिक चांदेलाव के खेल मैदान हेतु भूमि आंवटित करने हेतु प्रस्ताव में लगाये गये आक्षेप की पालना में पटवारी पटवार मण्डल चांदेलाव से जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट अनुसार खसरा सं. 227 में ऑनलाईन नक्शा व मौका स्थिति में भिन्नता होने के कारण ग्राम चांदेलाव के खसरा सं. 227 की तरमीम शुद्धि हेतु प्रकरण मय पटवारी रिपोर्ट आदेशार्थ श्रीमान की सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

सहायक कलक्टर
उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बिलाडा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के साथ संलग्न पटवारी रिपोर्ट के अनुसार ग्राम चांदेलाव के खसरा नंबर 227 में ऑनलाईन नक्शा व मौका स्थिति में भिन्नता होना बताया। अतः हमारा विनम्र

अभिमत है कि राजस्व ग्राम चांदेलाव के खसरा नंबर 227 की ऑनलाईन नक्शे में गलत तरमीम को पटवारी रिपोर्ट के साथ संलग्न मौका स्थिती का नजरी नक्शा अनुसार सही तरमीम किया जाना उचित रहेगा।

आदेश

अतः तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है कि वो ग्राम चांदेलाव तहसील बिलाडा के खसरा नंबर 227 की तरमीम पटवारी द्वारा जांच रिपोर्ट दिनांक 17.08.2025 के साथ संलग्न मौका नजरी नक्शा के अनुसार (अगर वादग्रस्त आराजी से कोई सरकारी भूमि खसरा लगा हुआ तो सरकारी खसरे के रकबे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा) तरमीम दुरुस्त कर शीघ्र से शीघ्र न्यायालय के समक्ष पेश करे। फर्द मौका रिपोर्ट मय मौका नजरी नक्शा दिनांक 17/08/2025 को इस निर्णय का भाग समझा जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 15/09/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा